

18.07.2022:-पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता श्री लालचन्द वर्मा द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अब उक्त प्रार्थना-पत्र को कोई कार्यवाही नहीं चाहते। प्रार्थना-पत्र मौजूदा सूरत में ही प्रत्याहृत किये जाने से सूरत में खारिज फरमाया जावे प्रार्थना-पत्र शामिल सम्भली किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर होमेव जयते

Web Copy - Not Official
सहायक कलक्टर
पत्रावली अधिकारी
हनुमानगढ़